विलोपित विलोपित विलोपित

(85)

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र
जिला ग्वालियर म0प्र0

प्र. क्र. /निगरानी/ /अध्यक्ष/2017 PBR/Ankit/ग्वालियर/भू.रा.सं./2017/1966

अविनाश भदौरिया पुत्र श्री दिवाकरसिंह भदौरिया कृषक ग्राम खेरियाकेशर निवासी बलवंतनगर थाटीपुर मुरार परगना व जिला ग्वालियर म0प्र0 .....प्रार्थी

श्री अशोक भार्गव द्वारा आज दि. 29-6-17 को प्रस्तुत
रीडर ऑफ कोर्ट 29-6-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1 भगवान् शर्मा पुत्र श्री सूरतराम शर्मा निवासी 408 सुरेशनगर थाटीपुर मुरार तहसील व जिला ग्वालियर म0प्र0 .....प्रतिप्रार्थी

2. श्रीमती उर्मिला पत्नी बालकिशन
3. जयकुमार पुत्र श्री लालमणी प्रसाद जैन
4 प्रकाश चन्द्र जैन पुत्र श्री राधेलाल जैन
5 रामकुमार पुत्र श्री खच्चूमल जैन समस्त निवासीगण गॉधीनगर कॉलोनी ग्वालियर म0प्र0 तहसील व जिला ग्वालियर म0प्र0
6 श्रीमती कुमकुम भदौरिया पत्नी श्री अजयप्रताप सिंह भदौरिया कृषक ग्राम खेरियाकेशर निवासी ग्राम बलवंतनगर थाटीपुर ग्वा0

......फॉरमल प्रतिप्रार्थीगण

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय माननीय अपर तहसीलदार वृत्त मुरार जिला ग्वालियर के प्रकरण कमांक 2/2016–17 अ–27 में पारित आदेश दिनांकी 15.05.2017 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निग./ग्वा./भू.रा./2017/1966 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–7–2017	आवेदक की ओर से श्री अशोक भार्गव अधिवक्ता उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । तहसीलदार जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–5–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के उक्त आदेश से आवेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, परन्तु निरस्त किये जाने के कारण आदेश में उल्लिखित नहीं किये गये हैं । स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा बोलता हुआ आदेश नहीं है । अतः उक्त आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर उभयपक्ष को सुनकर सकारण बोलता हुआ आदेश पारित करें । अध्यक्ष	